भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2270 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाओं के लिए फास्टैग प्रणाली का उपयोग

2270. श्री राजकुमार चाहर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शुल्क संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाओं के लिए फास्टैग प्रणाली के कार्यान्वयन पर विचार किया है;

(ख) क्या बेहतर योजना और नीति निर्माण के लिए रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) रेलवे स्टेशन पार्किंग में ठेकेदारों और उपयोगकर्ताओं के बीच विवादों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से फास्टैग जैसी स्वचालित प्रणाली ऐसे विवादों को कम करने में मदद कर सकती है;

(घ) क्या सरकार के पास मौजूदा पार्किंग स्थलों पर दबाव का आकलन करने और वाहन प्रवाह के आंकड़ों के आधार पर विस्तार पर विचार करने की योजना है; और

(ङ) क्या सरकार ने पार्किंग उपयोग को अनुकूलित करने और भीड़-भाड़ के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पार्किंग अवधि के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई हैं या बनाने की योजना बनाई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): पार्किंग प्रभार रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किए जाते हैं। शुल्क संग्रहण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय रेलों को सलाह दी गई है कि वे जहाँ कहीं व्यावहारिक हो, विभिन्न डिजिटल तरीकों से डिजिटल भुगतान सुविधा (नकद रहित)

स्वचालित प्रवेश और निकास, स्वचालित शुल्क रसीद आदि जैसे उपाय शुरू करें। वर्तमान में, स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा के लिए कोई फास्टैग प्रणाली नहीं है।

रेलवे स्टेशन पर पार्किंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या के आकलन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, ताकि क्षेत्र की बेहतर योजना और नीति तैयार की जा सके। पार्किंग हेतु जारी किए गए कूपनों से भी पार्किंग उपयोगकर्ताओं का आकलन किया जाता है।

पार्किंग उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को कम करने के लिए, पार्किंग स्थलों में प्रमुख स्थानों पर दर सूची प्रदर्शित की जाती है और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दिया जाता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा स्टेशन अधिकारियों, रेलमदद, 139 आदि के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों की जांच की जाती है और रेलवे अधिकारियों द्वारा उनका समाधान किया जाता है। पार्किंग ठेकेदारों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और अधिक शुल्क वसूल करने जैसी जब भी कोई अनियमितता पाई जाती है, तो ठेकेदारों के विरूद्ध पार्किंग अनुबंध समझौते में शामिल उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

पार्किंग अनुबंधों के आवंटन से पहले मौजूदा पार्किंग स्थल पर दबाव का आकलन करने के लिए स्टेशनों पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। मौजूदा पार्किंग स्थलों के उपयोग, स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही, स्टेशन पर पार्किंग स्थल की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुए ऐसे सर्वेक्षणों के आधार पर मौजूदा पार्किंग स्थलों का विस्तार और नए पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाता है। यातायात की आवाजाही को प्रबंधित करने और पार्किंग लेन में भीड़भाड़ करने वाले वाहनों की अनधिकृत पार्किंग को रोकने के लिए अवधि-वार प्रवेश शुल्क लगाया जाता है।

******